HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक दम्पति के साथ मारपीट करने के मामले में 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 6,000-6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए मा0 न्यायालय के द्वारा 03 अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 18-04-1996 में 1- कृष्ण पुत्र तिरखा, 2-परम उर्फ पप्पू व 3-प्रेमपाल पुत्रगण दउवा उर्फ दयाराम समस्त निवासीगण लोधीपुर सोवन थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा अपने गांव निवासी दंपति के साथ लाठी डंडे से मारपीट करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 122/1996 धारा 452, 323, 324, 326, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 30.07.1996 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 28.02.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय जेएम प्रथम गढ़ द्वारा 03-03 वर्ष का कारावास व 06-06 हजार रुपये(कुल 18,000/-रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री सुनील शर्मा (ए.पी.ओ.) व विवेचक उ0नि0 श्री विजय एवं पैरोकार म0का0 संगीता तथा कोर्ट मोहर्रिर है0का0 विजय धामा का विशेष योगदान रहा।